


फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

बनाम सुदाक्षणा
212912
व्या / वर्ष : 146/2012

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/8/2021	पत्रावली देना आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू	
10.11.22	पत्रावली आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। 20.1.22 उपखण्ड अधिकारी चाकसू	
20.1.22	पत्रावली देना आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। 29.3.22 उपखण्ड अधिकारी चाकसू	
29.3.22	पत्रावली देना आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। 30.3.22 उपखण्ड अधिकारी चाकसू	
30.3.22	पत्रावली देना आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। 4.4.22 उपखण्ड अधिकारी चाकसू	
4.4.22	पत्रावली देना आज दिनांक 30.9.21 से तलब होकर रमास्य केम्प चिकीत्सा में पेश हुयी। यादी एवं प्रतिवादी स्वयं मय वकील उपस्थित/ अनुपस्थित/पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। 1	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>तहसील गाल-चाकसू ने बताया है कि किसानों पर वास्तव में बिजली का उपयोग हीज कार्ड से किया जा रहा है, पूर्व में लागू होने वाली बिजली के लम्बे जोड़ों की तार खींचने के काम को हमने भी जवाब लाने का अवलोकन किया गया व पत्रावली का भी अवलोकन किया और प्रार्थना पत्र 177 RTI 1955 के तहत पत्र लिखा जो कार्रवाई किया जाना उचित समझते हैं। और प्रार्थना पत्र अर्द्धतः द्वारा 177 राजस्थान फाईट-की अधिनियम 1955 कार्रवाई किया जाता है पत्रावली के लक्ष्य हुआ है कि तहसील से काम लेना दायित्व पत्रावली है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>

9.